भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 724

उत्तर देने की तारीख- 23/07/2026

आंध्र प्रदेश में वन धन विकास केंद्र

†724. डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) की शुरुआत से लेकर अब तक स्वीकृत, स्थापित और संचालित किए गए उक्त केंद्रों की जिला-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है और वर्तमान में इनमें से कितने केंद्र पूर्ण रूप से कार्यशील हैं;

(ख) क्या प्रत्येक केंद्र पर लघु वन उपज (एमएफपी) के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है और यदि हाँ, तो प्रसंस्कृत की गई लघु वन उपज की वास्तविक मात्रा का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक केंद्र में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले अनुसूचित जनजाति की महिला सदस्यों सहित जनजाति से जुड़े लाभार्थियों की संख्या कितनी है और उनके लिए सृजित हुई आय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि तथा अप्रयुक्त शेष राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और उक्त कमी के क्या कारण हैं;

(ङ) आयोजित किए गए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों, सफलतापूर्वक प्रमाणित किए गए प्रतिभागियों की संख्या और स्थापित किए गए विपणन संपर्कों का ब्यौरा क्या है, तथा बिक्री से प्राप्त हुए राजस्व का ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त कमियों या विलंब को दूर करने के लिए जियो टैगिंग, निरीक्षण और लेखापरीक्षा सहित अपनाए गए निगरानी और जवाबदेही तंत्र तथा की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड (ट्राइफेड) के माध्यम से वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब तक, आंध्र प्रदेश राज्य में पीएमजेवीएम के तहत 415 वीडीवीके और पीएम-जनमन के तहत 73 वीडीवीके सहित कुल 488 वीडीवीके को मंज़ूरी दी गई है। फ़िलहाल, पीएमजेवीएम के तहत 398 वीडीवीके और पीएम-जनमन के तहत 73 वीडीवीके काम कर रहे हैं। वीडीवीके का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में वीडीवीके का आईटीडीए-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ख): इन वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) ने लघु वन उपज (एमएफपी) की उपलब्धता और स्थानीय मांग के आधार पर प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन का काम किया है। प्रसंस्कृत किए गए उत्पादों में अन्य चीजों के साथ-साथ ये शामिल हैं:

- **नन्नारी शरबत:** 10,000 लीटर (कई वीडीवीके)

- **आंवले का गूदा:** 300 किग्रा; आंवला कैंडी
- **मिलेट्स:** समा चावल (50-850 किग्रा), समालू (300-550 किग्रा), कोरा (450 किग्रा), रागी का आटा/पाउडर (50-1,471 किग्रा), मिलेट पाउडर (190-800 किग्रा)
- **कॉफ़ी पाउडर:** 1,800 किलोग्राम
- **झाड़ू/पहाड़ी झाड़ू:** 115 से 150,000 बंडल/पीस
- **काजू:** 120 किलोग्राम से 2.5 टन (1 मीट्रिक टन की सीधी बिक्री सहित)
- **इमली/इमली के केक:** 60 किलोग्राम से 4 टन
- **हल्दी पाउडर:** 105.2 किलोग्राम से 16 टन
- **मिर्च पाउडर:** 1.6 टन तक
- **बांस का फ़र्नीचर/उत्पाद:** 40 टन तक
- **शहद:** 190 किलोग्राम तक
- **महुआ का तेल:** 500 किलोग्राम तक
- **अड्डा पत्तों की प्लेट/कटोरे:** 15,000 तक प्लेट और 5,000 कटोरे
- **अनाट्टो के बीज:** 2 टन तक
- **काला चना/दालें/मक्का:** अलग-अलग मात्रा में प्रसंस्कृत किया जाता है।

(ग): आंध्र प्रदेश राज्य में पीएमजेवीएम और पीएम-जनमन के तहत बनाए गए वीडीवीके में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं सहित कुल 1,29,420 जनजातीय लाभार्थी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इन योजनाओं ने लघु वन उपज (एमएफपी) और अन्य जनजातीय उत्पादों में मूल्यवर्धन और उनके विपणन को आसान बनाया है, और इन वीडीवीके ने बिक्री के ज़रिए अपने जनजातीय सदस्यों के लिए 508.80 लाख रूपये की आय अर्जित की है।

(घ): निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

(ङ): वीडीवीके कार्यक्रम के तहत, उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी), उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और एमएफपी के टिकाऊ संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, श्रेणीकरण, पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, ब्रांडिंग, उद्यमिता विकास और विपणन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 30.06.2026 तक, इस कार्यक्रम के तहत कुल 1,20,237 जनजातीय लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है। वीडीवीके द्वारा बनाए गए मूल्यवर्धित एमएफपी उत्पादों की बिक्री को आसान बनाने के लिए ट्राइफेड, राज्य की लागू करने वाली एजेंसियों, वन धन दुकानों (आउटलेट्स), प्रदर्शनियों, मेलों, खरीदार-विक्रेता बैठकों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अन्य संस्थागत विपणन चैनलों के ज़रिए विपणन लिंकेज बनाए गए हैं।

(च): वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए जियो-टैगिंग, समीक्षा बैठकों और फील्ड विज़िट के ज़रिए नियमित निगरानी, राज्य की लागू करने वाली एजेंसी (जीसीसी लि.), आईटीडीए, ज़िला-स्तरीय अधिकारियों और ट्राइफेड की प्रोग्रेस रिपोर्ट, समय-समय पर निरीक्षण, खर्च के ब्यौरे और उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) की जांच के ज़रिए वित्तीय निगरानी, और कानूनी/आंतरिक लेखा-परीक्षा सहित कई स्तरों वाली निगरानी और जवाबदेही व्यवस्था बनाई गई है। जहाँ भी देरी या कमियाँ देखी जाती हैं, वहाँ संबंधित लागू करने वाली एजेंसियों/आईटीडीए को निर्देश दिया जाता है कि वे कामकाज शुरू करने में तेज़ी लाएँ, निधि के इस्तेमाल को बेहतर बनाएँ, लंबित 'उपयोगिता प्रमाण-पत्र' जमा करें, मूल्यवर्धन की गतिविधियों को मज़बूत करें, विपणन की कोशिशों को बढ़ाएँ और समय पर रिपोर्टिंग व नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक-I

आंध्र प्रदेश में वन धन विकास केंद्रों के संबंध में 23.07.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 724 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

वीडीवीके के वर्ष-वार ब्यौरे

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत वीडीवीके की संख्या		स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)		निर्मुक्त राशि (लाख रुपये में)	
		पीएमजेवीएम	पीएम-जनमन	पीएमजेवीएम	पीएम-जनमन	पीएमजेवीएम	पीएम-जनमन
1.	2019-20	75	-	1064	-	1064	-
2.	2020-21	188	-	2818.90	-	1400	-
3.	2021-22	152	-	2280	-	1140	-
4.	2022-23	-	-	-	-	-	-
5.	2023-24	-	73	-	307.55	-	153.825
कुल		**415**	**73**	**6162.90**	**307.55**	**3604**	**153.825**

अनुलग्नक-II

आंध्र प्रदेश में वन धन विकास केंद्रों के संबंध में 23.07.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 724 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

वीडीवीके के आईटीडीए-वार ब्यौरे

क्र.सं.	आईटीडीए/मेंटॉरिंग संगठन	पीएमजेवीएम		पीएम-जनमन	
		स्वीकृत	संचालित	स्वीकृत	संचालित
1.	आईटीडीए सीतमपेटा	68	68	53	53
2.	आईटीडीए पार्वतीपुरम	54	54	-	-
3.	आईटीडीए पडेरू	98	98	8	8
4.	आईटीडीए रामपछोड़वरम	110	100	4	4
5.	आईटीडीए के.आर. पुरम	15	15	4	4
6.	आईटीडीए चिंतुरु	56	52	4	4
7.	आईटीडीए श्रीशैलम	13	10	-	-
8.	आईटीडीए नेल्लोर	1	1	-	-
कुल		**415**	**398**	**73**	**73**

अनुलग्नक-III

आंध्र प्रदेश में वन धन विकास केंद्रों के संबंध में 23.07.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 724 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

निधियों के वर्ष-वार ब्यौरे

<u>पीएमजेवीएम</u>

वर्ष	स्वीकृत वीडीवीके	स्वीकृत राशि	आवंटित/जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)	एसआईए-जीसीसी द्वारा इस्तेमाल की गई निधियां (लाख रुपये में)	एसआईए के पास बिना व्यय हुआ शेष (लाख रुपये में)
2019-20	75	1064	1,064.00	365.54	698.46
2020-21	188	2818.90	1,400.00	820.34	579.65
2021-22	152	2280	1,140.00	382.48	757.52
कुल	**415**	**6162.90**	**3,604.00**	**1,568.36**	**2,035.63**

एसआईए से 685 लाख रूपये की निधि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) मिल गया है और एसआईए को निर्धारित प्रारूप में यूसी जमा करने की सलाह दी गई है।

<u>पीएम-जनमन</u>

वर्ष	स्वीकृत वीडीवीके	स्वीकृत निधि	आवंटित/जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)	उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा किया गया (लाख रुपये में)
2023-24	73	307.55	153.825	66.24

एसआईए से 66.24 लाख रूपये की निधि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) मिल गया है और एसआईए को निर्धारित प्रारूप में यूसी जमा करने की सलाह दी गई है।
